



सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

एक मिनीरत्न कम्पनी

(कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कम्पनी)



सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति 2012 के अंतर्गत

1. ग्राम: चमातु थाना: बालुमाथ, जिला लातेहार (झारखण्ड) को कोयला धारक अधिनियम (अर्जन एवं विकास), 1957 SO No. 870 E दिनांक. 02:12.1994

(क) स्व॰ सारो देवी पति जगदीश साव ग्राम: चमातु, थाना स: 56, (रैयती) खाता सं. 194 के अधीन प्लॉट सं. 2340/2590, कुल रकबा 0.42 एकड़ हैं।

कुल रैयती भूमि (क) = 0.42 एकड़ के अधिग्रहण के एवज में मुआवजा के लिए प्रस्ताव की प्रक्रिया की गई है।

2. ऊपर उल्लेखित भूमि

(क) ग्राम: चमातु, थाना स: 56, अंतर्गत खाता सं. 194, प्लॉट सं. 2340/2590, कुल रकबा 0.42 एकड़ है, यह भूमि खतियानी है और खतियानी रैयत स्व॰ सारो देवी पति जगदीश साव है।

अगर उक्त मुजावजा पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा / आपति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन / वेबसाईट http://www.centralcoalfIELDS.in/Indsk/noti_empl_Ind.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपति लिखित रूप में महाप्रबंधक / विभागाध्यक्ष (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल. रांची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर इस सूचना से संबन्धित कोई आपति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि ग्राम: चमातु थाना सं: 56: जिला: लातेहार (रैयती) खाता सं. 194 के अधीन प्लॉट सं. 2340/2590, कुल रकबा 0.42 एकड़, खतियानी रैयत स्व॰ सारो देवी पति जगदीश साव, जिसे कोयला धारक अधिनियम (अर्जन एवं विकास), 1957 के अन्तर्गत अधिग्रहित किया गया है के भूमि-मुआवजा प्रस्ताव पर कोई भी आपति नहीं है।

Project Officer
Magadh OCP
Magadh - Sanghmitra Area

